न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम:--जाकिर हुसैन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या:--31/2019 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा--दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ जरिये प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक श्री संजीव झालानी, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, क्षैत्रीय कार्यालय हनुमानगढ जंक्शन।

-----प्रार्थी

बनाम

1. श्री विजय सिह पुत्र जसवंत सिह निवासी वार्ड संख्या 7 गोदारा जनरल स्टोर, 07 पी बी एन ग्राम पंचायत दुलमाना तहसील पीलीबंगा।

--------ऋणी

2. श्रीमति निर्मला देवी पत्नी श्री विजय सिह निवासी वार्ड संख्या 7 गोदारा जनरल स्टोर, 07 पी बी एन ग्राम पंचायत दुलमाना तहसील पीलीबंगा।

--------जमानती

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

आदेश दिनांक:--12.9.2019

प्रार्थी राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा--दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ की ओर से श्री अमित कुमार वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी

को 5,00,000/–रूपये (अखरे पॉच लाख रूपये) की ऋण सुविधाये उपलब्ध करवाई थी। ऋणी द्वारा ऋण के पेटे बैंक को गारन्टी के रूप में अप्राथीगण की अचल रिहायशी सम्पति वार्ड नं. 7 संकल्प नम्बर 2 ग्राम पंचायत दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हुमानगढ में रिहाईसी प्लाट क्षैत्रफल 190' गुणा 58' यानि 11020 वर्गफुट में अवस्थित है जो अभिलेख में श्रीमति निर्मला देवी पत्नी श्री विजय सिह निवासी वार्ड संख्या 7 गोदारा जनरल स्टोर, 07 पी बी एन ग्राम पंचायत दुलमाना तहसील पीलीबंगा के नाम से दर्ज है जिससे संबंधित समस्त दस्तावेज विधिनुसार ऋणी व जमानतदार द्वारा सम्पति 11.11.2011 को बैंक के पास रहन किया गया था। ऋणी द्वारा बैंक को ऋण नियमानुसार नही चुकाने के कारण ऋणी का ऋण खाता दिनांक 28.05.2018 को एनपीए कर दिया। ऋणी का ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी एवं जमानतदार को दिनांक 08.02.2019 को बकाया ऋण राशि चुकाने हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। इस नोटिस की जानकारी ऋणी व जमानतदार को हो चुकी है। ऋणी व जमानतदार को नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर 5,29,245/–रूपये ऋण राशि दिनांक 27.12. 2018 तक खर्चे तथा आगे का ब्याज जमा कराना था। ऋणी एवं जमानतदार द्वारा ऋण की राशि बैंक को जमा नही करवाई जिस पर प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(4) के अनुक्रम में बन्धकित सम्पति का कब्जा व अन्तरण अधिकार सहित का नोटिस दिनांक 06. 06.2018 जारी किया गया जिसकी जानकारी भी ऋणी व जमानतदार को हो चुकी है। ऋणी व जमानतदार द्वारा नोटिस के पश्चात भी ऋण मय ब्याज व खर्चे बैंक में जमा नही करवाये गये। इसलिए बैंक द्वारा उक्त बन्धकित सम्पति को विक्रय किया जाना है। प्रार्थी बैंक को बन्धकित सम्पति को ऋणी व जमानतियो से कब्जा लेने के लिये पुलिस सहायता की आवश्यकता है। सरफेसी एक्ट की धारा 14 के अनुसार उक्त वर्णित बन्धकित सम्पति से संबंधित दस्तावेजात का कब्जा प्रार्थी राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा–दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ व राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, क्षैत्रीय कार्यालय हनुमानगढ जंक्शन को दिलवाने जाने हेतु पुलिस इमदाद के आदेश फरमाया जावे।

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा–दुलमाना तहसील पीलीबंगा के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। ऋणी द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण राशि का भुगतान समय पर करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा–दुलमाना तहसील पीलीबंगा की धारा 13 (2) के अन्तर्गत ऋणी व जमानतदार को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया जाना पाया। इसके पश्चात भी ऋणी द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण का भुगतान राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा–दुलमाना तहसील पीलीबंगा को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforoement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा–दुलमाना तहसील पीलीबंगा के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा–दुलमाना तहसील पीलीबंगा का

हुए प्रार्थी बैंक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा–दुलमाना तहसील पीलीबंगा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ऋणी व जमानतदार द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के एवज में राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा–दुलमाना तहसील पीलीबंगा के पास रहन शुदा सम्पति रिहाईशी प्लाट क्षैत्रफल 190'' गुणा 58'' यानि 11020 वर्गफुट में अवस्थित है जो अभिलेख में जमानती श्रीमति निर्मला देवी पत्नी श्री विजय सिह निवासी वार्ड संख्या 7 गोदारा जनरकल स्टोर, 07 पी बी एन ग्राम पंचायत दुलमाना तहसील पीलीबंगा के नाम से दर्ज है तथा जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा–दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा–दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा–दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ व राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा–दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 12.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ